

## नवभारत

संस्थापक : स्व. रामगोपाल माहेश्वरी | प्रेरणा स्रोत : स्व. प्रफुल्ल माहेश्वरी

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर हाल ही में लिए गए निर्णय न केवल प्रशासनिक सक्रियता को दर्शाते हैं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण का संकेत भी देते हैं। 10 से 25 अप्रैल तक 'नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा' का आयोजन और महिला योजनाओं के लिए 240.42 करोड़ रुपये की स्वीकृति इस दिशा में एक ठोस कदम है। खासतौर पर आठ नए वन स्टॉप सेंटर की स्थापना का निर्णय, महिलाओं को लक्षित और समेकित सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए।

आज भी समाज में अनेक महिलाएं घरेलू हिंसा, उर्ध्वीकरण, आर्थिक निर्भरता और सामाजिक दबाव जैसी समस्याओं से जूझ रही हैं। ऐसे में वन स्टॉप सेंटर जैसी व्यवस्था, जहां एक ही स्थान पर मेडिकल, कानूनी, काउंसलिंग और पुलिस सहायता मिल सके, उनके लिए एक

## नारी शक्ति वंदन : संकल्प से सशक्तिकरण की पहल

मजबूत सहारा बन सकती है। मेहर, मऊगंज, पादुणा, मनावर, पीथमपुर, लसूडिया, सांवर और पेटलावद जैसे क्षेत्रों में इन केंद्रों की स्थापना यह भी दर्शाती है कि सरकार अब छोटे शहरों और अर्ध-शहरी इलाकों तक सुविधाएं पहुंचाने पर ध्यान दे रही है, जो लंबे समय से उपेक्षित रहे हैं।

हालांकि, केवल योजनाओं की घोषणा और बजट आवंटन ही पर्याप्त नहीं होते। इन योजनाओं का वास्तविक प्रभाव उनके क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। अक्सर देखा गया है कि कई सरकारी योजनाएं जमीनी स्तर पर अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाती, जिसका मुख्य कारण संसाधनों की कमी, प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव और निगरानी तंत्र की कमजोरी होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि

वन स्टॉप सेंटर केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि वहां प्रशिक्षित स्टाफ, संवेदनशील पुलिस व्यवस्था और प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जाए। 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' और महिला हेल्पलाइन-181 जैसी योजनाओं के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है, जो यह दर्शाता है कि सरकार बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन इन योजनाओं की सफलता के लिए जनजागरूकता भी उतनी ही जरूरी है। जब तक महिलाएं अपने अधिकारों और उपलब्ध सुविधाओं के प्रति जागरूक नहीं होंगी, तब तक इन योजनाओं का पूरा लाभ समाज तक नहीं पहुंच पाएगा।

'नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा' जैसे आयोजनों का उद्देश्य केवल प्रतीकात्मक नहीं

होना चाहिए। यह समय आत्ममंथन का भी है, यह समझने का कि महिलाओं की वास्तविक स्थिति क्या है और किन क्षेत्रों में अभी और काम किए जाने की जरूरत है। यदि यह पखवाड़ा केवल औपचारिक कार्यक्रमों तक सीमित रह गया, तो इसका प्रभाव सीमित ही रहेगा। इसके बजाय इसे संवाद, जागरूकता और ठोस कार्रवाई का मंच बनाया जाना चाहिए। कुल मिलाकर महिला सशक्तिकरण केवल सरकारी योजनाओं का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। सरकार की पहल सराहनीय है, लेकिन समाज की मानसिकता में बदलाव के बिना यह अधूरा रहेगा। जब तक महिलाओं को समान अवसर, सम्मान और सुरक्षा नहीं मिलती, तब तक सशक्तिकरण का लक्ष्य अधूरा ही रहेगा। मध्यप्रदेश सरकार के ये कदम एक सकारात्मक शुरुआत हैं, अब जरूरत है इन्हें प्रभावी क्रियान्वयन और सामाजिक सहयोग के साथ आगे बढ़ाने की।

## आखिरकार सुनी गई आधी आबादी की आवाज



आर. विमला, आर्द्धप्रसाद

नारी शक्ति वंदन अधिनियम और भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं का न्यायोचित स्थान जब महिलाएँ सशक्त होती हैं, तो भारत मजबूत होता है। घर की गरिमा से लेकर संसद में समान आवाज तक, यह एक नए और आत्मविश्वास से भरे भारत की परिकल्पना है।— प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

भारत की महिलाएँ सदैव महान कार्यों में सक्षम रही हैं। वैदिक काल में गाँगी और मैत्रेयी ने बड़े-बड़े दार्शनिकों को निरुत्तर कर दिया था। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर ने जिस न्यायपूर्ण तरीके से अपने राज्य का शासन चलाया, उसकी बराबरी उनके समकालीन शासक नहीं कर सके। रानी लक्ष्मीबाई शासक की एक अजर मिसाल बन गईं। फिर भी, स्वतंत्र भारत—जो समानता के सिद्धांत पर आधारित एक संवैधानिक गणराज्य है—ने इन महान महिलाओं की उत्तराधिकारियों को अपनी विधायिकाओं में शायद ही कोई जगह दी। पहली लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या मात्र 4.4 प्रतिशत थी। सात वरक बाद, 17वाँ लोकसभा में भी यह आंकड़ा बढ़कर केवल 14.4 प्रतिशत तक ही पहुँच पाया। व्यक्तिगत प्रतिभा ने तो अपनी जगह बना ली थी, लेकिन

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत (2047 तक एक विकसित भारत) का दृष्टिकोण इस दृढ़ विश्वास पर आधारित है कि कोई भी राष्ट्र अपनी पूरी क्षमता तक तब तक नहीं पहुँच सकता, जब तक उसके आधे नागरिक उन जगहों से बाहर रहें जहाँ सत्ता का संचालन होता है। जैसा कि उन्होंने हमेशा कहा है—भारत तभी एक विकसित राष्ट्र बनेगा जब इसकी महिलाएँ न केवल अपने घरों में, बल्कि अपनी संसद में भी पूरी तरह सशक्त होंगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय महिलाओं के लिए कुछ नया सृजन नहीं करता है। इसने उस विद्वता, साहस और नेतृत्व करने की इच्छाशक्ति के लिए एक संस्थागत स्थान सुनिश्चित कर दिया है, जो महिलाओं में पहले से ही मौजूद है। शौचालय की गरिमा से लेकर संसद में समान आवाज तक, यह मात्र एक विधायी यात्रा नहीं है। यह एक ऐसे राष्ट्र की कहानी है जिसने अंततः पूर्णता की ओर बढ़ने का निर्णय लिया है।

व्यवस्थागत बदलाव अभी भी नहीं आया था। असल में, महिलाएँ अपने ही लोकतंत्र में एक तरह से मेहमान बनकर ही रह गईं।

हमारे संविधान ने पहले ही दिन से यह स्वीकार किया था कि जब सदियों से ढांचागत विसंगतियाँ जड़ जमाए बैठी हों, तो केवल औपचारिक समानता पर्याप्त नहीं होती। संरचनात्मक भेदभाव के सिद्धांत के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और बाद में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गईं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पंचायतों में आरक्षण को व्यवस्था सफल रही है—24 मार्च 2026 तक, निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों में से लगभग 49.75 प्रतिशत महिलाएँ हैं। जिन जगहों पर महिलाएँ शासन करती हैं, वहाँ पानी की आपूर्ति सुचारू होती है, साफ-सफाई की

स्थिति बेहतर होती है और लड़कियाँ स्कूल जाना जारी रखती हैं। इसके बावजूद, संसद में भी इसी सिद्धांत को लागू करने के उद्देश्य से जो विधेयक पेश किए गए थे, वे राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में दशकों तक बार-बार निष्प्रभावी होते रहे। वह क्षण जिसने सब कुछ बदल दिया—वह अधूरी कड़ी 19 सितंबर 2023 को पूरी हुई। भारत के नए संसद भवन में आयोजित कामकाज के पहले ही सत्र में, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद के दोनों सदन में, प्रत्येक राजनीतिक दल के सर्वसम्मत् समर्थन से पारित किया गया। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पेश करते हुए दोनों सदन को बताया—यह कानून केवल एक कानून नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक भारतीय महिला की शक्ति, त्याग और सामर्थ्य के प्रति एक श्रद्धांजलि है। यह अधिनियम लोकसभा और राज्यों की

## मताधिकार से वंचित लाखों लोगों की त्यथा

इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में लाखों मतदाताओं को वोट डालने से वंचित रहना पड़ेगा। इससे वहाँ के चुनाव परिणाम प्रभावित होंगे, क्योंकि कितनी ही सीटों पर कुछ हजार वोट के अंतर से जीत-हार तय होती है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले घनी आबादी वाले इस राज्य में मतदाता सूची का विशेष गहन पुरनीकरण किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी वोट लिस्ट में मतदाताओं के नाम शामिल करने की अपील पर निर्णय लेने में समय की कमी का हवाला देते हुए चुनाव आयोग को रियायत दे दी। लाखों लोग अपने मताधिकार से वंचित रहते हैं, तो इसका जिम्मेदार चुनाव आयोग है। इस स्थिति का लाभ केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी को मिल सकता है, जो बंगाल में बीजेपी का सप्ताम देव रही है। पिछले 3 वर्षों में चुनाव आयोग पर बीजेपी का निर्योग मजबूत हुआ है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कहा गया था कि प्रधानमंत्री, सीजेआई व लोकसभा में नेता विपक्ष का फैल चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगा। केंद्र सरकार ने कुछ ही महीनों में कानून बनाकर इस निर्णय को निष्प्रभावी कर दिया। सरकार ने तय किया कि सीजेआई को फैल में न रखकर उसमें प्रधानमंत्री,

एक कैबिनेट मंत्री व विपक्ष का नेता शामिल होंगे। इस तरह फैल में सरकार ने अपनी स्थायी मेजोरीटी बना ली। उस कानून में यह भी प्रावधान किया गया कि चुनाव आयुक्त को पद पर रहते हुए किए गए अपने कार्यों के लिए आजीवन मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। इस अधिनियम के प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन मामला अभी तक विचार के लिए नहीं लिया गया। 2024 में सरकार ने चुनाव संचालन कानून 1961 के नियम 93 में संशोधन किया जिसमें चुनाव संबंधी जानकारी सार्वजनिक रूप से हासिल करने पर रोक लग गई। जिन राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सरकार थी, वहाँ एसआईआर कराया गया ताकि बड़ी तादाद में नाम काटे जा सकें। जब इस प्रक्रिया में धांधली को लेकर विपक्ष ने सीईसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया तो लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति ने टुकड़ा दिया। वैसे भी सरकार के बहुमत के सामने यह प्रस्ताव गिरना ही था। मतदाता सूची से नाम गायब होने से नाराज लोगों ने गत सप्ताह मालदा में 7-व्यापिक आंदोलनों का धरोवर किया। यह स्थिति जनता में व्याप्त अविश्वास को दर्शाती है।

संपादकीय बोर्ड | प्रबंध संपादक : सुमीत माहेश्वरी, समूह संपादक : क्रांति चतुर्दी

शब्द-सागर : डॉ. सागर खादीवाला

**CROSS WORD 12229** — डॉ. सागर खादीवाला

1	2	3	4	5	6
7		8	9		
		10			
		11		12	
13			14		
15			16		17
18		19			20
		21			22

**ऊपर से नीचे**

- निष्पक्ष, जिसके साथी-समर्थक न हों 2. झगड़ा, तकरार 3. निगलना, गले से नीचे पेट में उतारना 4. सड़ने की क्रिया या भाव 5. स्त्री जाति का प्राणी या जीव 6. गायब (उर्दू) 9. बूंद (उर्दू) 10. ताईद, अनुपेक्षण, पुष्टि करने की क्रिया 11. काम, हुनर, करामात 12. मल्ल 13. प्रार्थना, नम्रतापूर्वक कुछ कहना, विनती 14. वह शब्द या वाक्य जो किसी अनिष्ट की कामना से कहा जाए 16. न मरने वाला, चिरंजीवी 17. एक सदाबहार वृक्ष, डग, 19. क्लेश, तकलीफ, कष्ट

**बाएं से दाएं**

- राजस्थान का एक पहाड़ 4. बराबर 7. पंख, लेकिन 8. परदादा से बड़ा दादा 10. अनादिकाल, बहुत दिन से चली आई परंपरा 11. अल्प, थोड़ा 12. पेर, ओहदा 13. व्यर्थ, निष्प्रयोजन 14. बादशाह, मुसलमान फकीर 15. तनख्वाह 16. निमित्त, एकटक 18. किसी की अपेक्षा कम या घटिया, दबाव 19. पूँछ, कुँड़ जैसी कोई वस्तु या पीछे लगा कोई व्यक्ति 20. बहस, विवाद, मुकदमा 21. तालाव 22. गीला, आर्द्र

Solution 12228

मि	च	का	न	क	ल	श
मि	न	क	न	झ	ब	
या	क		प्र	का	श	न
ना	न	न	वा	दी	य	म
				द	प	टा
अ	खा	भा	वि	क	गा	ल
ध	त	वा	त	र	ह	
र	ति	द	ह	न	र	

## ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियंका नारायणशंकर व्यास, कोतवाली बाजार, जबलपुर (म.प्र.)

आज जिनका जन्मदिन है

वर्ष के प्रारंभ में शिक्षा प्रतिव्योगिता में सफलता मिलेगी। यात्रा में वैचारिक वाद विवाद होगा। धार्मिक कार्यों में रूचि रहेगी। वर्ष के मध्य में मित्रों तथा भाईयों का सहयोग, अचल संपत्ति के कार्यों में सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। कार्यक्षेत्र में वृद्धि होगी। कर्मचारियों का सहयोग बना रहेगा। वर्ष के अंत में पारिवारिक समस्याओं में व्यस्तता रहेगी।

मेष और वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को भाईयों और मित्रों का कार्यों में

**मेष**— कार्य क्षेत्र में संपर्कों का लाभ करना पड़ेगा, शरीरिक कष्ट उरसाह रहेगा, शुभ संदेश प्राप्त होगा, मांगलिक कार्यों में विलंब होगा।

**वृश्चिक**— कार्य योजना बनाकर आगे बढ़ें, सफलता मिलेगी, शारीरिक कष्ट हो सकता है, राजकीय कार्यों में विलंब होगा, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा।

**मिथुन**— काम करवाने के लिये भागदौड़ करना पड़ेगी, घरेलू वातावरण सुख रहेगा, महिला जाति की सलाह उपयोगी रहेगी, लेखन, अध्ययन में रूचि रहेगी।

**कर्क**— आपका पूरा ध्यान परिवार की जरूरतें पूरा करने की ओर रहेगा, मार्गिक प्रसन्नता रहेगी, विरोधी वर्ग उस रूप धारण कर सकता है, सावधानी पूर्वक कार्य करें।

सहयोग बना रहेगा। अचल संपत्ति से लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आयेगी। वृष और तुला राशि के व्यक्तियों को यात्रा में सावधानी रखकर कार्य करना हितकर रहेगा। कर्क राशि के व्यक्तियों को शारीरिक कष्ट रह सकता है, सिंह राशि के व्यक्तियों को सफलता मिलेगी, धनु और मीन राशि के व्यक्तियों को मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मिथुन और कन्या राशि के व्यक्तियों को अच्छा स्थान, पद प्राप्त होगा। मकर और कुंभ राशि के व्यक्तियों को कार्यक्षेत्र में प्रतिश्रम बढ़ेगा।

**सिंह**— नये कार्य के लिये जरूरी धन की व्यवस्था पूरी होगी, विद्या के क्षेत्र में उन्नति होगी, कार्य पूर्ण होगा, नवीन योजनाओं का विकास होगा।

**कन्या**— मित्रों से किया वादा निभाने में सफलता मिलेगी, शरीरिक कष्ट खर्च होगा, साहस एवं पराक्रम में वृद्धि होगी, यश मिलेगा। नया काम बनेगा।


**तुला**— कार्य स्थल पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, प्रायद्वि के कार्यों में सावधानी रखें, यदि टाल सकें तो व्यथा अच्छा है, व्यर्थ की व्यस्तता रहेगी।

**वृश्चिक**— बुजुर्गों की मदद से पारिवारिक समस्या का समाधान होगा, खरीदी का कार्य बनेगा, विरोधी पक्षों के कारण कामकाज में बाधा होगी, नियमितता का ध्यान रखें।

आज जन्म शिशु का भविष्य

आज जन्म लिया बालक गंभीर एवं स्वाभिमानी, निर्णय लेने की अच्छी क्षमता रहेगी। समाज में स्थान बनायेगा, नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी, माता पिता के प्रति श्रद्धा रहेगी।

उदयकालीन ग्रह चाल



पंचांग

रा.मि. 25 संवत् 2083 वैशाख कृष्ण त्रयोदशी बुधवासरे रात 8/12, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्रे दिन 1/6, ब्रह्म योगे दिन 11/22, गर करणे सु.उ. 5/42, सु.अ. 6/18, चन्द्रचार कुम्भ, दिन 7/6 से मीन, पूर्व-प्रदोष व्रत, शु.रा. 12,2,3,6,7,10 अ.रा. 1,4,5,8,9,11 शुभांक-5,7,1.

व्यापार भविष्य

वैशाख कृष्ण त्रयोदशी को पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव से चाँदी गुड़, खाँड, चीनी, शेरार मार्केट में मंदी की चाल चलेगी, गेहूँ, जौ, चाना, तिल, तेल, सरसों, उड़द के भाव में समता रहेगी, नरमी का रूख चल सकता है। भाग्यांक 1589 है।